

## न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या:- जीसीएमएस संख्या 2024/339

1. जगदीश पुत्र स्व० श्री नानछा जाति नाई निवासी- नाइयों की ढाणी, सिरसी, वार्ड नम्बर-49, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

—अपीलांत

### बनाम

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री रिछपाल सिंह निवासी ए-200, जय नगर, मुरलीपुरा, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिए सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
5. रिचवैल एन्टरप्राइजेज प्रा.लि. पंजीकृत जरिये निदेशक विवेक सेठिया पुत्र श्री कमल सेठिया निवासी जी-1, वेस्टर्न हाइट्स, एस-21, श्याम नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर-302019
6. गिराज अग्रवाल पुत्र श्री बृजबिहारी अग्रवाल जाति महाजन निवासी- 802, अक्षत निलय अपार्टमेंट, सिविल लाइन्स, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
7. श्रीमती संगीता गुप्ता धर्मपत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी- मकान नम्बर 282, गुरु जम्भेश्वर नगर, गांधीपथ, लेन नम्बर-9 वैशाली नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
8. पीयूष चौधरी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 84, नरेंद्र नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट्स

9. रामसहाय पुत्र स्व० श्री नानछा, जाति नाई, निवासी-नाइयों की ढाणी, सिरसी, वार्ड नम्बर- 49, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

—प्रारूपिक रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 09.02.2015 प्रकरण संख्या 232/2014 उनवानी संतोष देवी बनाम सरकार अंतर्गत धारा 90-क रा.भू. रा.अ. 1956

उपस्थित-

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़ वकील अपीलान्त
2. श्री नवलकिशोर शुक्ला वकील रेस्पो 1, 7, 8 की ओर से।
3. श्री उदित पुरोहित वकील रेस्पो 5 की ओर से
4. श्री रामप्रकाश कुमावत रेस्पो संख्या 2 व 3 की ओर से।
5. श्री मो० जहीर खां रेस्पो संख्या 9 की ओर से।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.

(2)  
निर्णय

दिनांक-30.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 09.02.2015 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा-5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 09.02.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर दिनांक 09.02.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1973 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1987 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा 1.2523 हैक्टेयर जिसके खातेदार काश्तकार अपीलार्थी के हक पूर्वाधिकारी स्व० श्री नान्छा पुत्र आशा जाति नाई थे। नान्छा पुत्र आशा नाई अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुये रेस्पोंडेंट संख्या 1 श्रीमती संतोष देवी के पति रिछपाल सिंह व अन्य लोगों ने बहला-फुसलाकर दस्तावेज पंजीकृत करवाकर भूमि का हस्तांतरण करवा लिया। उक्त हस्तांतरण दस्तावेज के आधार पर राजस्व भू-अभिलेखों में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अन्य व्यक्तियों ने अपना नाम राजस्व भू-अभिलेखों में अंकित करवा लिया और उसके आधार पर विभाजन करवाकर हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 1973 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व 1987/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2, रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार काश्तकार रेस्पोंडेंट संख्या 1 व अन्य खातेदार काश्तकार खसरा नम्बर 1987 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार काश्तकार शंकरलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/6, रामस्वरुप पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/6, बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में इंद्राजात दर्ज किये गये तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने उक्त भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1973 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व 1987/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के सम्बन्ध में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत गलत तथ्यों के आधार पर बिना कब्जे के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की कृषि भूमि है और निरन्तर कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग में ली जा रही है। भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी ने भूमि विवादग्रस्त कभी हस्तांतरित नहीं की और ना ही कभी वास्तविक कब्जा सुपुर्द किया। रेस्पोंडेंट संख्या 7 व 8 का उक्त भूमि विवादग्रस्त से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 5 लगायत 8 को भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही रेस्पोंडेंट का वास्तविक कब्जा है। उक्त भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में रेस्पोंडेंट

P.T.O.

इसाराग आयुक्त  
जयपुर

(3)

संख्या 8 व अन्य व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम के समक्ष दो वाद प्रस्तुत किये गये, जिसमें राजस्व वाद संख्या 23/2022 बउनवानी प्रहलाद सिंह बनाम नानछ्छा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.03.2022 व अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.04.2022 में खसरा नम्बर 1970 रकबा 0.3541 हैक्टयेर व राजस्व वाद संख्या 18/2022 बउनवानी प्रहलाद सिंह बनाम पीयूष चौधरी में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.03.2022 व अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.04.2022 में खसरा नम्बर 1967 रकबा 0.4806, खसरा नम्बर 1975 रकबा 0.1518, खसरा नम्बर 1976 रकबा 0.2023 हैक्टयेर के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है, उक्त अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जो आज दिनांक तक यथावत है। चारों अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष विचाराधीन हैं।

संपरितर्वन आदेश के बाद रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दो एकल पट्टे प्राप्त किये गये पार्ट ए 4162.10 वर्गमीटर को रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 5 रिचवैल एन्टरप्राइजेज प्रा०लि० को बेचान कर दिया और रेस्पोडेंट संख्या 5 के द्वारा भूखण्ड संख्या ए पर आवासीय फ्लैट्स वर्धमान सम्पदा गुप के फ्लैट्स बना दिये गये और रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उत्तर की ओर प्लॉट बी जिसका क्षेत्रफल 922.68 वर्गमीटर था उसका भी बेचान रेस्पोडेंट संख्या 6 व अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया। परन्तु प्लॉट पार्ट-बी उत्तर की ओर अपीलार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1970 भूमि थी जो कृषि भूमि है जिसको ओवर लैपिंग नक्शा बना दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को कभी नहीं रही है परन्तु फिर भी न्यायालय के द्वारा मौके की जांच किये बिना एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1973 व 1987/1 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत आवासीय गुप हाउसिंग के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आपत्तियों आमंत्रित की गईं और यह निवेदन किया गया कि आवेदनकर्ता का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिये 90-क की कार्यवाही की जावेगी जिस पर तहसीलदार कनिष्ठ अभियंता व सहायक नगर नियोजक तथा अमीन और आपित्तकर्ता की उपस्थिति में जांच की गई और जांच पर आवेदनकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह कथन किया कि आवेदक अपने खर्चे पर उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल इत्यादि को हटवा लेंगे और प्रश्नगत भूमि की जब जेडएलएसी (जोन लेवल कमेटी) की बैठक में होकर नक्शा अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जायेगी, तत्समय आवेदित भूमि जो कि अविवादित रूप से आवेदक की खातेदारी में है, उतनी भूमि की कार्यवाही की जावेगी परन्तु उक्त आपत्तियों के संदर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील एवं प्रार्थना पत्रादि धारा 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के समस्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी

12  
श्रीमती आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.

के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-12 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7 एवं 8 ने कथन किया है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 1973 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1987/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरसी जिला जयपुर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वामित्व की आराजी थी जिसे उन्होंने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का (आवासीय ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिये आवेदन किया गया तथा आवेदन के साथ प्रश्नगत भूमि की नवीनतम जमाबन्दी की प्रति राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथ पत्र, की-मैप अभिन्यास योजना सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेजत इत्यादि प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7 एवं 8 ने कथन किया है कि तत्पश्चात् प्रश्नगत भूमि के दो भाग कर प्लॉट-ए क्षेत्रफल 4162.10 वर्गमीटर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 22.04.2015 एवं प्लॉट-बी क्षेत्रफल 922.68 वर्गमीटर का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2015 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 एवं अन्य को किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी का कथन कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार नान्छा पुत्र आशा नाई अनपढ व गरीब होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बहला फुसलाकर दस्तावेज पंजिकृत करवाना कथन किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के अस्तित्व में रहते हुए अपीलार्थी को 90-क के आदेश की विरुद्ध प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 1973 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1987/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा ग्राम सिरसी जिला जयपुर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती संतोष देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का (आवासीय ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया है तथा आवेदन के साथ प्रश्नगत भूमि की नवीनतम जमाबन्दी की प्रति राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप

(5)

से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथ पत्र, की-मैप अभिन्यास योजना सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा दैनिक समाचार पत्र में लोक सूचना का प्रकाशन कराकर आपत्तियों आमंत्रित किये जाने पर अन्य दीगर नेक्टर इन्फ्रगोल्ड प्रा.लि. जरिये कमलेश कुमावत द्वारा दिनांक 05.01.2015 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे आपत्तिकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 04.02.2015 को निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

6. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन यह भी विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य रूप से प्रश्नगत भूमि के तकासमा को लेकर विवाद है, जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। पक्षकारान के मध्य तकासमा को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष वाद संख्या 18/2022 विचाराधीन रहा है, जो दिनांक 18.04.2022 को डिक्री हुआ है, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष होने पर दिनांक 20.10.2022 को स्थगन जारी हुआ, जो स्थगन आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 23.07.2024 के द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने के पश्चात् रिकार्डेड खातेदार द्वारा भूमि के संपरिवर्तन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.12.2014 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अनुज्ञा देने बाबत आवेदन किया गया। तत्पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा दैनिक समाचार पत्र में लोक सूचना का प्रकाशन कराकर आपत्तियों आमंत्रित किये जाने पर अन्य दीगर नेक्टर इन्फ्रगोल्ड प्रा.लि. जरिये कमलेश कुमावत द्वारा दिनांक 05.01.2015 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे आपत्तिकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 04.02.2015 को आपत्तिकर्ता को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति को निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही दिनांक 15.02.2015 को


  
संसाधनीय आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.

(6)

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा तत्समय प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय का स्थगन प्रभावी व प्रचलन में नहीं रहा है। रेस्पॉण्डेन्ट के विक्रय पत्र अवैध या शून्य घोषित किये जाने सम्बन्धी कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलन में है। तहसीलदार जोन-12 एवं सहायक नगर नियोजक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 04.02.2015 के अनुसार मास्टर प्लान 2011 में भू उपयोग ग्रामीण क्षेत्र तथा मास्टर प्लान 2025 में भू उपयोग यू-1 है जिसमें आवासीय गुप हाउसिंग उपयोग अनुज्ञेय है। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2015 के विरुद्ध लगभग 9 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2015 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2015 को यथावत रखा जाता है।

  
(पूनम)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर